न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 389 / III / 2014 विरूद्व आदेश दिनांक 19 सितम्बर 2013 – पारित– व्दारा – अनुविभागीय अधिकारी, लवकुशनगर जिला छतरपुर – प्रकरण कमांक 05 / 2012–13 पुनरावलोकन

1– रतन पुत्र स्वर्गीय राजू पाल
2– शिवरतन पुत्र स्वर्गीय राजू पाल
3– दिनेश पुत्र स्वर्गीय राजू पाल
अना. 2 एंव 3 अल्पवयस्क सरपरस्त
भाई रतन पुत्र राजू पाल निवासीगण
कस्वा चंदला तहसील चंदला
जिला छतरपुर मध्य प्रदेश ––आवेदकगण

विरूध्द

1– श्रीमती छबिरानी पत्नि स्व. पंखिया पाल
2– मईयादीन पुत्र फदाली पाल
निवासीगण बड़ापुखा (चंदला)
तहसील चंदला जिला छतरपुर म0प्र0 ––अनावेदकगण

आवेदकगण के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव
अनावेदकगण के अभिभाषक श्री के.के.द्विवेदी

आदेश

(आज दिनांक 10-6 – 2014 को पारित)

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, लवकुशनगर जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण कमांक 05 / 12-13 पुनरावलोकन में पारित आदेश दिनांक 19–9–13 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम चंदला स्थित भूमि के भूमिस्वामी रामाधीन पुत्र कामता प्रसाद की मृत्यु होने पर पटवारी ने ग्राम की नामान्तरण

पंजी के सरल कमांक 125, 126 पर दिनांक 15-10-66 को प्रविष्टि की जिस पर अपठनीय हस्ताक्षर एंव अपठनीय दिनांक के हस्ताक्षरकर्ता ने मृतक भूमिस्वामी के उत्तराधिकारी के रूप में भाई के पुत्र के पुत्र भैयादीन व हलका का नामान्तरण प्रमाणित कर दिया।

श्रीमती छबिरानी पत्नि स्वर्गीय पॅखिया पाल ने तहसीलदार चंदला के समक्ष म0प्र0भू राजस्व संहिता की धारा 51 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर उपरोक्त नामांत्रण के पुनर्विलोकन की मांग की, जिस पर तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 96 अ 6 अ / 12-13 पंजीबद्व कर अनुविभागीय अधिकारी, लवकुशनगर को पुनरावलोकन अनुमति प्रस्ताव प्रस्तुत किया, अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर ने प्रकरण कमांक 05 / 12-13 पुनरावलोकन पंजीबद्व किया तथा आदेश दिनांक 19-9-13 से पुनरावलोकन अनुमति प्रदान की। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी की गई हैं

3 / निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4 / आवेदकगण के अभिभाषक का तर्क यह है कि पूर्व भूमिस्वामी कामता थे और कामता के दो पुत्र रामाधीन एंव फदाली थे। रामधीन के एक पुत्र था जो निसंतान मरा और फदाली के दो पुत्र भैयादीन एंव हलके हुये जिसके कारण रामाधीन की मृत्यु के वाद वही वारिस थे और जिसके कारण वर्ष 1966 में उनका नामान्तरण हुआ है और इतनी लम्बी अवधि वाद नामान्तरण को पुनः री ओपिन नहीं किया जा सकता। अनावेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि वादग्रस्त भूमि रामधीन के नाम थी, उसकी मृत्यु के वाद उसका पुत्र पखिया है जिसका विवाह छबिरानी के साथ हुआ जो आज जिन्दा है। पंखिया की मृत्यु के वाद रामाधीन के नाम की भूमि महिला छबिरानी को जायेगा, जबकि हलका पटवारी ने त्रृटिपूर्ण ढंग से कपट करके रामाधीन की भूमि पर गलत राजरे के आधार पर नामानतरण कराया है , जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी ने

पुनरावलोकन की अनुमति देने में गलती नहीं की है उन्होंने निगरानी खारिज करने की प्रार्थना की।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषक के तर्कों पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि यह सही है कि रामाधीन की मृत्यु के बाद हलका पटवारी ने ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 126 पर दिनांक 15–10–66 को प्रविष्टि की, जिस पर अपठनीय हस्ताक्षर एंव दिनांक के हस्ताक्षरकर्ता ने मृतक भूमिस्वामी के उत्तराधिकारी के रूप में भाई के पुत्र के पुत्र भैयादीन व हलका का नामान्तरण प्रमाणित किया है किन्तु नामान्तरण पंजी की प्रमाणित प्रतिलिपि के अवलोकन से मृतक रामधीन के सजरे में उसके पुत्र पंखिया अथवा पंखिया की पत्नि को नहीं दर्शाया है और न ही महिला छबिरानी को व्यक्तिगत सूचना दी गई है। जैसाकि आवेदकगण के अभिभाषक महिला छबिरानी को अथवा मृतक रामधीन के पंखिया को पुत्र न होना बताकर लावल्द फोत होने का तथ्य बता रहे है, किन्तु यह निगरानी न्यायालय में आपत्ति का विषय नहीं है अपितु विचारण न्यायालय के समक्ष रखे जाने वाला तथ्य है। इस प्रकरण में देखना यह है कि क्या तहसीलदार अपने पूर्वाधिकारी व्दारा किये गये नामान्तरण आदेश को री–ओपिन कर सकते है एंव नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 126 पर दिनांक 15–10–66 को हुई प्रविष्टि पर अपठनीय हस्ताक्षर एंव अपठनीय दिनांक के हस्ताक्षरकर्ता व्दारा किये गये नामान्तरण को री–ओपिन किये जाने हेतु लंबी अवधि वाद पुनरावलोकन की अनुमति दी जा सकती है ?

1. भू राजस्व संहिता, 1959 (म.प्र.) धारा–51 – नायव तहसीलदार/तहसीलदार व्दारा किये गये नामान्तरण को री–ओपिन करने के आधार पाये जाने पर वर्तमान पदस्थ नायव तहसीलदार/ तहसीलदार सक्षम स्वीकृति उपरांत पूर्वाधिकारी व्दारा पारित आदेश का पुनर्विलोकन कर सकते हैं।
2. भू राजस्व संहिता, 1959 (म.प्र.) धारा–110 – ग्राम की नामान्तरण पंजी पर अपठनीय हस्ताक्षर एंव अपठनीय दिनांक के हस्ताक्षरकर्ता व्दारा किया नामान्तरण - ऐसा नामान्तरण प्रारंभ से संदिग्ध है – तहसीलदार को अधिकार है कि व्यथित पक्षकार के आवेदन पर अथवा स्वयं् ऐसी प्रविष्टि को शुद्ध करने की कार्यवाही करे।

विचाराधीन प्रकरण में तहसीलदार व्दारा बरिष्ठ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी से पुर्नविलोकन की अनुमति प्राप्त की गई है और तहसीलदार के समक्ष उभय पक्ष को अपना–अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर प्राप्त है जिसके कारण तहसीलदार के प्रस्ताव पर अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर द्वारा आदेश दिनांक 19–9–13 से पुनरावलोकन की अनुमति प्रदान करने में किसी प्रकार की त्रृटि करना प्रतीत नहीं होता हैं

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण कमांक 05/12–13 पुनरावलोकन में पारित आदेश दिनांक 19–9–13 विधिवत् होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है। अस्तु निगरानी अस्वीकार की जाती है।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य
राजस्व मंडल
मध्य प्रदेश ग्वालियर